

OFFICE ORDER (16 /2012)

Subject: Amendment in building regulations for establishment of Petrol pump in line with Jaipur Development Authority (Jaipur Region) Building Regulations- 2010

An agenda item on the subject matter was placed before the IDC vide item no. 10 of its meeting held on 26.4.2012. The Committee has accorded approval for amending the norms for establishment of petrol pump as per provisions/norms of the Jaipur Development Authority (Jaipur Region) Building Regulations 2010 as mentioned below, by deleting complete existing provision in RIICO rules.

पेट्रोल पम्प व फिलिंग स्टेशन

(i) पेट्रोल पम्प व फिलिंग स्टेशन के भवनों की निर्माण अनुज्ञा केन्द्रीय सड़क एवं भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदण्डों के मानक स्तर के अनुसार दी जा सकेगी। पेट्रोल पम्प एवं फिलिंग स्टेशन हेतु तकनीकी मानदण्ड निम्नानुसार होंगे:-


- | | |
|-----------------------------|--------------|
| (क) अधिकतम आच्छादित क्षेत्र | - 20 प्रतिशत |
| (ख) एफ.ए.आर | - 0.2 |
| (ग) ऊँचाई | - 7 मीटर |

(ii) यदि पेट्रोलपम्प/डीजल पम्प बिना सर्विस स्टेशन के बनाया जाना प्रस्तावित है तो ऐसे भूखण्ड के लिए सड़क के साथ चौड़ाई न्यूनतम 20.00 मी. होगी तथा गहराई न्यूनतम 20.00 मी. होगी।

(iii) यदि पेट्रोलपम्प/डीजल पम्प सर्विस स्टेशन के साथ बनाया जाना प्रस्तावित है तो ऐसे भूखण्ड की सड़क के साथ चौड़ाई न्यूनतम 36.00 मी. होगी तथा गहराई भी 36.00 मी. होगी।

(iv) सड़क की न्यूनतम चौड़ाई योजना के अनुसार अथवा 24 मी. होगी। प्रस्तावित पेट्रोल पम्प की इन्टरसेक्शन से दूरी निम्नानुसार होगी:-

- | |
|--|
| (क) 24 मीटर तक चौड़ी सड़क के इन्टरसेक्शन हेतु दूरी- 50 मीटर |
| (ख) 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क के इन्टरसेक्शन हेतु दूरी - 100 मीटर |


(Chetan Deora)
Advisor (Infra)